



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2009/आश्विन 15, 1931

No. 574]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2009/ASVINA 15, 1931

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2009

सा.का.नि. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के आदेश संख्या सा.का.नि. 157(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि चीनी का प्रत्येक देशी उत्पादक चीनी मौसम 2009-2010 (अक्टूबर-सितम्बर) में उत्पादित चीनी का बीस प्रतिशत 1 अक्टूबर, 2009 से केन्द्रीय सरकार को या जैसा समय-समय पर यथा संशोधित लेवी चीनी (नियंत्रण) प्रदाय आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए, विक्रय करेगा।

[फा. सं. 2-2/2002 एसपीवाई(डी-2)]

आर. पी. भागरिया, मुख्या निदेशक (शर्करा)

स्पष्टीकरण : शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे चीनी आयातक, जो 31 मार्च, 2010 तक या अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविस्तारित अवधि तक श्वेत या परिष्कृत चीनी में प्रसंस्कृत करने के लिए शुल्क मुक्त कच्ची चीनी का आयात करते हैं या 30 नवम्बर, 2009 तक या अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविस्तारित अवधि तक शुल्क मुक्त श्वेत या परिष्कृत चीनी का आयात करते हैं, के लिए आयातित कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत ऐसी श्वेत या परिष्कृत चीनी या ऐसी आयातित श्वेत या परिष्कृत चीनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार को लेवी चीनी का विक्रय करना अपेक्षित नहीं होगा।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2009

G.S.R. 726(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) number

G.S.R. 157(E), dated the 1st March, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that every domestic producer of sugar shall sell twenty per cent of sugar produced in 2009-2010 sugar season (October - September), with effect from the 1st day of October, 2009, to the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979, as amended from time to time.

[F. No. 2-2/2002-SPY (D. II)]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)

Explanation : For removal of doubts, it is clarified that importers of sugar who import duty-free raw sugar for processing into white or refined sugar upto 31st March, 2010 or as may be extended by Central Government by notification or import duty-free white or refined sugar upto 30th November, 2009 or as may be extended by the Central Government by notification, shall not be required to sell levy sugar to the Central Government in respect of such white or refined sugar processed from imported raw sugar or such imported white or refined sugar.